M.A. Public Administration – Semester II

Paper: Financial Administration – II

Unit - 5

Teacher : Dr. Megha Pandey

राष्ट्रीय वित्त सहायता संस्थाएँ

वित्तीय गतिविधियाँ बहुपक्षीय एवं बहुस्तरीय होती है जिन पर किसी भी देश की सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीकों से नियंत्रण एवं नियमितता बनाए रखती है। भारत में भी विश्व के कई अन्य देशों की तरह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जो अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में अपने–अपने स्तर पर बैंकिग और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं। भारत एक विकासशील देश है भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था आधार स्वरूप में समाजवादी विचारधारा का अनुसरण करती हैं, किन्तु, पिछले कुछ समय से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों ने भी प्रभावी रुप ले लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है साथ ही लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी है जिसमें सरकार ग्रामीण क्षैत्र , पिछडा वर्ग समुदाय एवं क्षेत्र के उत्थान के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करती है । देश में केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक विकासनात्मक कार्यो के समूचित वित्तीय प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र खडा किया गया है इसमें अपनी भूमिका निभाने वाली विभिन्न संस्थाओं को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं –

1. बैंकिग गतिविधियों के लिए बैंकिग संस्थाएँ
2. गैर–बैंकिंग गतिविधियों के द्वारा गैर–बैंकिंग संस्थाएँ

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) / NABARD

नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसके जन्म के समय नाबार्ड की चुकता पूँजी 100 करोड रू. थी। जिसमें भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनो का बराबर 50–50 प्रतिशत योगदान था। वर्ष 1996–97 में इसे बढाकर 1000 करोड रू. कर दिया गया। जिसमें RBI का योगदान 800 करोड रू. तथा केन्द्र सरकार का 200 करोड रू. था। वर्तमान मे नाबार्ड की चुकता पूँजी 2000 करोड रू. है। हाल ही तक इस चुकता पूँजी में RBI की हिस्सेदारी 72.5 प्रतिशत थी। नाबार्ड की इस इक्विटी में RBI की हिस्सेदारी का अधिग्रहण सरकार के द्वारा 2008 में कर लिया गया है। वर्तमान में नाबार्ड की प्रदत्त पूँजी 2000 करोड रू. है और यह भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैक द्वारा प्रदान की गई है।

नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय है जो सभी राज्यों की राजधानी में स्थित है। इसके अलावा 391 जिलों में जिला कार्यालय है।

नाबार्ड के उद्देश्य :–

1. अनुप्रवर्तन, पूर्नवास योजनाओं को तैयार करने, सहकारी संस्थाओं के पुर्नगठन सहित ऋण प्रदाय प्रणाली की ऋण उपयोग करने की क्षमता को सुधारने के लिए संस्थागत निर्माण की दिशा में कदम उठाना।
2. विभिन्न योजनाओं और संस्थाओं में संबंधित कर्मचारियों या कार्मिको के प्रशिक्षण की दिशा में कदम उठाना।
3. स्थानीय स्तर पर कार्य में लगी संस्थाओं के वित्तीय कार्यकलापों का समन्वय करना।
4. भारत सरकार, राज्य सरकार RBI और नीति निर्धारण से जुडी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखना।
5. देश के सभी जिलों के लिए वार्षिक आधार पर ग्रामीण ऋण योजनाएँ तैयार करना। ये योजनाएँ सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक ऋण आयोजन का आधार बनती है।

6. जिन परियोजनाओं के लिए पुर्नवित्त प्रदान किया जाता है उनका मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण करना ।
7. ग्रामीण बैंकिग कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढावा देना।
8. विनियात्मक प्राधिकारी के रूप में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन करना।

1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। इस कोष के लिए उन बैंक से अन्शदान प्राप्त किया जाता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य के अनुरूप साख उपलब्ध नहीं करा सकते थे।

इस तरह नाबार्ड भारतीय ग्रामीण साख को बनाए और बढाए रखने में एक शीर्ष वित्तीय बैंकिग संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाबार्ड देश में ग्रामीण समृद्वि के लिए प्रतिबद्व है। यह प्रभावी ऋण सहायता संबंधित सेवाओं, संस्था विकास और अन्य नवोन्मेषी पहलुओं के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण समृद्वि का दीर्घकालीन एवं सम्यक संवर्द्वन हेतु प्रतिबद्व है।

नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जिसका कार्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण हेतु नीति आयोजना और परिचालन संबंधी सभी कार्यों को सम्पादित करना है। अपने कार्यो को क्रियान्वित करने के लिए नाबार्ड के संगठनात्मक ढॉचें में विभिन्न विभागेां का निर्माण किया गया है –

1. लेखा विभाग
2. केन्द्रीय सांख्यिकी सूचना विभाग
3. केन्द्रीय सर्तकता कक्ष
4. कॉर्पोरेट आयोजना विभाग
5. सहकारिता पुर्नउत्थान और सुधार विभाग
6. आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग
7. सूचना प्रौद्योगिक विभाग
8. पर्यवेक्षण विभाग
9. विकास नीति विभाग–कृषि क्षैत्र

10. विकास नीति विभाग – गैर कृषि क्षैत्र
11. वित्त विभाग– वित्तीय समावेषण विभाग
12. सामान्य प्रशासन विभाग राजभाषा प्रभाग, शिष्टाचार और सुरक्षा अनुभाग
13. मानव संसाधन विकास विभाग
14. मानव संसाधन प्रबंध विभाग
15. निरीक्षण विभाग
16. सूक्ष्म ऋण नवप्रर्वतन विभाग
17. परिसर विभाग
18. उत्पादन ऋण विभाग
19. सचिव विभाग–जनसंपर्क विभाग
20. राज्य परियोजना विभाग
21. तकनीकी सेवा विभाग

नाबार्ड की कार्य भूमिका :– भारत सरकार द्वारा नाबार्ड की स्थापना एक विकास बैंक के रूप में इस अध्यादेश के साथ हुई है कि वह कृषि और समेकित ग्रामीण विकास क संवर्द्धन एवं विकास हेतु ऋण प्रवाह में सहायता करे। इसमें यह भी शामिल है, कि वह ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी अन्य आर्थिक कार्यकलापों में सहयोग दे। दीर्घ कालीन ग्रामीण विकास का संवर्द्धन करे। और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्वि लाए।

शिखर स्तर की यह संस्था ग्रामीण इलाकों में कृषि और अन्य आर्थिक एवं विकास कार्यकलापों के क्षेत्र में नीति आयोजना और परिचालन से संबंधित मामलों को देखती है। ग्रामीण इलाकों में कृषि और विकासात्मक कार्यकलापों के संवर्द्धन के लिए उत्पादन और निवेश ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए नाबार्ड एक पुर्नवित्त एजेंसी है। नाबार्ड की भूमिका और कार्यक्षेत्र इस प्रकार है–

1. नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढॉचे में एक शीर्षस्थ संस्था है अर्थात् यह ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराने के कार्यो में संलग्न है, किन्तु, यह ऋण उपलब्धता दूसरी अन्य अनेक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से करती है।

2. नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को पुर्नवित्त सुविधा प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र को बढावा देने के लिए ऋण देती है।
3. नाबार्ड से वित्त प्राप्त करने वाली कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाऍ है; राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि। नाबार्ड जिन वित्तीय संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराता है उन पर अपने दिए गए ऋण के उपयोग संबंधी मामलों पर नियंत्रण भी बनाए रखता है, जैसे कि वह संस्था किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को कितना ऋण कितनी दर पर किन नियमों के अंतर्गत प्रदान करेगी।
4. अपनी ऋण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैक, तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करता है। यह केन्द्र सरकार के ग्यारंटी प्राप्त बैंड तथा ऋण जारी करके भी संसाधन जुटा सकता है।
5. इसके अतिरिक्त नाबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्तरीकरण निधी के संसाधन) का भी प्रयोग करता है अर्थात यह ग्रामीण क्षेत्रों में फैले विभिन्न संसाधनों के समुचित दोहन और उनसे होने वाला धन प्राप्त करता है। इस तरह स्वयं वित्तीय लाभ प्राप्त करता है। संबंधित वित्तीय एवं बैंकिंग संस्था का लाभ करता है और ग्रामीण साख को बनाए रखने में सहायक होता है।

नाबार्ड ने अपने उपरोक्त सभी कार्यक्षैत्रो मे परामर्शीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए नैबकान्स (Nabard Consultancy services) की स्थापना की है जो नाबार्ड द्वारा प्रर्वतित पूर्णस्वामित्व वाली परामर्शीय सहायक संस्था है।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

IBRD

1944 के ब्रेटनवुड सम्मेलन से दो निकायों का उद्‌भव हुआ–

1. पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक)
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF)

इन दोनों वित्तीय निकायों की स्थापना 1946 में हुई। पुननिर्माण एव विकास बैंक को अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विश्वबैंक के नाम से जाना जाता है।

सामान्य अर्थो में बैंक की जो अवधारणा है वह विश्व बैंक के संदर्भ में लागू नहीं होती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों में से एक महत्वपूर्ण संस्था है। विश्व बैंक का सदस्य वही राष्ट्र हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होता है। अर्थात् IBRD की सदस्यता लेने के पहले IMF की सदस्यता लेना आवश्यक होता है।

द्वितीय विश्वयुद्व ने न केवल बहुमुखी व्यापार व्यवस्था को असंतुलित कर दिया था बल्कि अनेक राष्ट्रो में जीवन और सम्पत्ति को भी अत्यधिक हानि पहुॅचायी थी। युद्व में सक्रीय रूप से भाग लेने वाले देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से त्रस्त हो गई थी। इन युद्व प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ–साथ यह भी सोचा गया कि अल्पविकसित देशों का भी पूर्वयोजना के अनुसार विकास किया जाए। इस विचार के फलस्वरूप ही जुलाई 1994 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत् पुर्ननिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना दिसम्बर 1945 अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ–साथ की गई। इसने जून 1946 से कार्य करना प्रारम्भ किया। यह दोनो संस्थाऍ पूर्वक संस्थाएँ है।

IBRD के उद्‌देश्य :–

बैंक की स्थापना के समय सम्पन्न समझौते की धारा प्रथम में इसके निम्नलिखित उद्‌देश्य निर्धारित किए गए है।

1 सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुननिर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूॅजी उपलब्ध कराना विश्व बैंक का कार्य हैं। यह पूॅजी निम्नलिखित उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान की जाती है–

- युद्वजर्जित अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण हेतु
- शांतिकालीन आवश्यकता के अनुरूप उत्पादक शक्तियों को पुनः वित्त उपलब्ध कराना
- अल्पविकसित राष्ट्रों में उत्पादन और साधनों की सुविधाएँ विकसित करना।
- भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन के लिए दीर्घकालीन पूँजी विनियोग को प्रोत्साहित करना जिससे सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता में वृद्वि हो। फलतः मानव शक्ति एवं जीवन स्तर और अधिक उन्नत हो सके।

2 सदस्य राष्ट्रों में पूँजी निवेश का निम्नलिखित माध्यम से प्रोत्साहित करना

- नीजि ऋणों एवं पूँजी निवेश की ग्यारण्टी
- नीजि पूँजी निवेश को ग्यारण्टी दिए जाने के फलस्वरूप यदि नीजि पूँजी उपलब्ध न हो पाए, तो स्वयं के साधनों से उपयुक्त शर्तो पर उत्पादक कार्यो हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- लघु एवं वृहद इकाईयों एवं आवश्यक परियोजना के क्रियांवयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणों के लिए ग्यारण्टी देना।

3 युद्वजर्जित अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों एवं परियोजना को लागू करना।

बैंक का संगठन और प्रबंध :– सामान्यतः यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता ग्रहण कर लेता हें तो वह स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है और IMF की सदस्यता का त्याग करने पर विश्व बैंक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। परन्तु व्यवस्था की गई है कि IMF की सदस्यता त्यागने पर भी बैंक का सदस्य बना रह सकता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित आधार पर बैंक की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है

1. कोई भी देश सूचना मात्र देकर बैंक की सदस्यता का परित्याग कर सकता है, किन्तु, बैंक सदस्यता त्यागने पर भी वह अपने ऋणों के पूर्वभुगतान के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगा।
2. किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा नियमों एवं दायित्वों के प्रतिकूल काम करने पर गर्वनर मण्डल के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

बैंक का प्रबंध त्रिस्तरीय होता है

अध्यक्ष

↓

बोर्ड ऑफ गर्वनर

↓

बोर्ड ऑफ एक्जक्यूटिव डायरेक्टर

बोर्ड ऑफ गर्वनर में प्रत्येक देश से एक गर्वनर होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ एक्जक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा होती है। जिनकी संख्या 24 है जिनमें 5 की नियुक्ति उन सदस्यों के द्वारा की जाती है जिनकी बैंक में सर्वाधिक पूँजी है। बाकि 19 बोर्ड ऑफ गर्वनर द्वारा चुने जाते हैं। बोर्ड ऑफ एक्जक्यूटिव डायरेक्टर बैंक की सबसे शक्तिशाली संस्था होती हैं जो बैंक की समस्त नीतियों का निर्धारण करती है और इसकी बैठक बैंक के अध्यक्ष के निर्देशन में होती है।

एक अनौपचारिक परंपरागत समझौते के अनुसार विश्वबैंक का अध्यक्ष एक अमेरिकी नागरिक ही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की भॉति इसके भी दो प्रकार के सदस्य है।

1. मौलिक सदस्य
2. सामान्य सदस्य

जिन्होने 31 दिसम्बर 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली थी उन्हें मौलिक सदस्य कहते है। इसकी संख्या 30 है अर्थात् 30 मौलिक सदस्य हैं। भारत IMF की भाँति IBRD के संस्थापक देशों में से एक है। इसलिए मौलिक सदस्य राष्ट्र कहलाता है। फरवरी 2008 तक विश्वबैंक की कुल सदस्य राष्ट्र संख्या 185 थी।

बैंक की पूँजी में सदस्य राष्ट्रो के अंश के अनुरूप ही बैंको के सदस्य के मताधिकार का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक एक अंश पर एक मताधिकार सदस्य राष्ट्रो को आंबटित किया जाता है। बैंक के अंशों की राशि का भुगतान सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित प्रकार से कर सकते है।

1. अंशदान का 2 प्रतिशत भुगतान स्वर्ण, अमेरिकी डॉलर में किया जाता है।

2. प्रत्येक सदस्य देश अपनी अंश पूँजी का 18 प्रतिशत देश की मुद्रा से भुगतान करने में स्वतंत्र है।
3. शेष 80 प्रतिशत विश्वबैंक द्वारा याचना किए जाने पर ही सदस्य देश द्वारा बैंक में जमा कराया जाता है। 30 जनवरी 1996 तक बैंक की अधिकृत पूँजी 188 मिलियन डॉलर थी। जिसमें से 180.6 मिलियन डॉलर की पूँजी (अधिकृत पूँजी का 96 प्रतिशत) सदस्य देशों को अंशों के रूप में जारी किया गया । बैंको की कुल स्वीकृत पूँजी में प्रतिशत के क्रमानुसार 10 देशों के नाम इस प्रकार है– संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान , ग्रेट ब्रिटेन , फ्रांस , जर्मनी , सउदी अरब , चीन , कनाडा , भारत , इटली ।

IBRD के कार्य, महत्व और आलोचना :–

वर्तमान में बैंक का प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों विशेषतः अल्पविकसित राष्ट्रों को विकास हेतु आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराना है। बैंक द्वारा ऋण सामान्यतः दीर्घकालीन परियोजना को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। इनकी अवधि 5–20 वर्ष तक की होती है। इसके अलावा बैंक ने युद्व में क्षतिग्रस्त तथा विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। कार्यो से संबंधित प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है :–

1. बैंक अपनी प्रदत्त पूँजी के 20 प्रतिशत अपने कोष से सदस्य देशों को ऋण दे सकता है।
2. सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति प्राप्त कर बैंक नीजि विनियोजन को अपनी व्यक्तिगत ग्यारण्टी पर भी ऋण उपलब्ध कराता है।
3. ऋण की मात्रा ब्याज दर व अन्य संबंधित शर्तो का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाता है।
4. सामान्यतः बैंक किसी परियोजना विशेष के लिए ही ऋण स्वीकुत करती है।
5. ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र को ऋण का भुगतान स्वर्ण या उसी मुद्रा में करना होता है। जिसमें ऋण लिया गया।

पुननिर्माण एंव विकास हेतु ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न प्रकार की तकनिकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बैंक ने अपने मुख्यालय वांशिंगटन डी.सी. में 2 अभिकरणों की स्थापना की ।

1. The Economic Development Institute
2. Staff Collage

इन सब के बावजूद बैंक की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है।

1. विश्व बैंक की ऋण नीति भेदभाव पूर्ण रही है। बैंक ने एशिया और सुदूर पूर्व देश तथा अफ्रीका के अविकसित देशों को पश्चिमी यूरोप की तुलना मं बहुत कम ऋण सहायता दी है तथा इस ऋण सहायता में और कमी हो रही है।
2. बैंक किसी देश की ऋण लौटाने की क्षमता पर अत्यधिक बल देता है। अविकसित देशों में ऋण देने से पूर्व भुगतान क्षमता की खोज करना व्यर्थ है।
3. बैंक की ऊँची ब्याज दर के संबंध में आलोचना की जाती है ।

IBRD और भारत :– भारत के आर्थिक विकास की गति को तेज करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूॅजी निवेश करके अभूतपूर्व योगदान दिया है। विभिन्न विकास परियोजना को पूर्ण करने हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए हे। विशेषतः जैसे की परिवहन, संचार, सिंचाई, शिक्षा, जल आपूर्ति , विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, सड़क आदि दीर्घकालीन परियोजना को पूर्ण करने हेतु बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने गई है। भारत को विशिष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1958 मे बैंक द्वारा भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई है। इसका वर्तमान नाम भारतीय विकास मंच है।

==